

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 583)

3 पौष 1930 (श0) पटना, बुधवार 24 दिसम्बर 2008

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

24 दिसम्बर 2008

सं॰ एल0जी0-1-23/2008/लेज:193—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्निलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को अनुमित दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

(बिहार अधिनियम 29, 2008)

बिहार स्वावलम्बी सहकारी सिमिति (संशोधन) अधिनियम, 2008 बिहार स्वावलम्बी सहकारी सिमिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- **1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।** (1) यह अधिनियम बिहार स्वावलम्बी सहकारी सिमिति (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।
- 2. बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 में धारा-2 (थ) तथा (द) का जोड़ा जाना।-धारा- $2(\pi)$ के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा।-
 - (थ) ''सहकारी बैंक'' से अभिप्रत है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में यथा परिभाषित सहकारी बैंक,
 - (द) ''बीमाकृत बैंक'' से अभिप्रेत है डिपोजिट इंसोरेंस तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरंशन अधिनयिम 1961 में यथा परिभाषित बीमाकृत बैंक।
- 3. बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अध्याय VII के बाद नया अध्याय VII A का जोड़ा जाना।-

बिहार स्वावलम्बी सहाकरी सिमिति अधिनियम 1996 में अध्याय VII के बाद निम्नलिखित अध्याय VII क जोडा जायेगा।

''अध्याय - VII क सहकारी बैंकों के लिए विशेष उपबंध

- 38क। अध्याय का सहकारी बैंको पर लागू होना। (1) इस अध्याय के उपबंध इस अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी बैंको पर, इस अधिनियम के अन्य भागों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त लागू होंगे। जहाँ प्रकट अथवा विवक्षित विसंगति का कोई प्रश्न उत्पन्न हो वहाँ इस अध्याय के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्य भागों के उपबन्धों पर प्रभवी होंगे।
- (2) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ निक्षेप बीमा निगम से तात्पर्य है निक्षेप बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (संख्या 47, 1961) के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम तथा रिजर्व बैंक से तात्पर्य है रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, 1934 (संख्या 2, 1934) के अधीन स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
- 38ख। रिजर्व **बैंक द्वारा अपेक्षा किये जाने पर निबंधक द्वारा कतिपय आदेश पारित किये जायेंगे।**-(1) सहकारी बैंक जो बीमाकृत बैंक है, के मामले में निबंधक को निम्न शक्तियाँ प्रदत्त होंगे।
 - (i) निक्षेप बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा-13D में वर्णित परिस्थितियों रिजर्व बैंक द्वारा यदि रजिस्ट्रार से वैसी अपेक्षा की जाए तो वह किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश दे सकेगा।
 - (ii) जहाँ केन्द्रीय सरकार ने किसी सहकारिता बैंक के संबंध में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (संख्या 10, 1949) की धारा-45 की उप धारा (2) के अधीन अधिस्थगन आदेश दिया हो, वहाँ उसके संबंध में समझौता या व्यवस्था या पुर्निनर्माण या समामेलन की स्कीम बनाई जाय।
 - (iii) यदि रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षा करने पर लोकहित में, अथवा किसी सहकारी बैंक के काम-काज निक्षेपकर्त्ताओं के हित में अहितकर होने देने से रोकने के लिए या सहकारी बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए या अवक्रमण तथा प्रबंध

समिति के निष्कासण की जाय तो रिजस्ट्रार, ऐसी शर्तों पर और कुल मिलाकर पाँच वर्षों से अनिधक ऐसी कालाविध के लिए जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, उस सहकारी बैंक की प्रबंध सिमिति यह अन्य प्रबंध निकाय को (चाहे वह जिस किसी नाम से भी कहा जाय) अतिष्ठित करने तथा उसके लिए प्रशासक नियुक्त करने का आदेश पारित करेगा। नियुक्त प्रशासक अपने कार्य काल की समाप्ति के बाद भी नये प्रबंध सिमिति के गठन के एक दिन पूर्व तक अपने पद पर बने रहेगें। प्रशासक को प्रबंध सिमिति की सारी शिक्तयाँ प्रदत्त होगी, तथा वे निबंधक के सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में कार्य करेंगे।

- (2) बीमाकृत सहकारी बैंक के मामलें में, सहकारी बैंक की सामान्य निकाय समझौता से संबंधित योजना, व्यवस्था या संविलयन या पुनिनर्माण बिहार स्वाबलम्बी सहकारी सिमिति अधिनियम 1996 की धारा-11 के तहत रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमित के बिना निर्णय नहीं ले सकेगा।
- (3) इस अधिनियम की धारा-43 के तहत सहकारी बैंक स्वत: अपने विघटन की स्वीकृति नहीं देगा या इस अधिनियम की धारा के अधीन गठित सहकारी न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा-44 के तहत किसी सहकारी बैंक के विघटन या समापन हेतु आदेश रिजर्व बैंक के लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं दे सकेगा।
- (4) अधियाचना या रिजर्व बैंक की पूर्वानुमित के बाद उपधारा (1), (2) तथा (3) के तहत पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण या पुर्निवचार स्वीकार नहीं होगा। ऐसा आदेश या स्वीकृति पर किसी भी रीति से प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।-
- 38ग। परिसमापक के द्वारा निक्षेप बीमा निगम की प्रतिपूर्ति। –जहाँ कोई सहाकारी बैंक, बीमाकृत बैंक होने के नाते परिसमापित हो जाय या समापनाधीन कर लिया जाय और निक्षेप बीमा निगम उस अधिनियम की धारा-16 की उपधारा (1) के अधीन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्त्ताओं को भुगतान करने की दायी हो जाय तो निक्षेप बीमा निगम को उस अधिनियम की धारा-21 में उपबंधित सीमा तक और रीति से प्रतिपूर्ति की जायगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

24 दिसम्बर 2008

सं॰एल०जी०-1-23/2008/लेज:194—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 December, 2008 को अनुमत बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2008 का निम्निलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

[Bihar Act 29, 2008]

The Bihar self- Supporting Co- operative societies (Amendment) ACT, 2008

AN ACT

To AMEND THE BIHAR SELF- SUPPORTING CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1996(BIHAR Act 2, 1997)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Fifty Ninth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. **Short Title, Extent and Commencement:-** (1) This Act may be called the Bihar Self-Supporting Co-operative Societies (Amendment) Act, 2008.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
- 2. Addition of section.- 2(q) and (r) in the Bihar Self- Supporting Co-operative Societies Act, 1996 The following shall be added after section -2(p) -
 - "(q) "Co-operative Bank" means a co-operative bank as defined in the Banking Regulation Act. 1949.
 - (r) "Insured Bank" means a co-operative bank as defined in the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961."
- 3. Addition of a new chapter VII-A after chapter VII of the Bihar Self-Supporting Cooperative Societies Act, 1996.-

In the Bihar Self-Supporting Co-operative Societies Act, 1996 the following Chapter VII-A shall be inserted after Chapter VII.

"CHAPTER-VII-A

Special Provision for Co-operative Banks

- 38 A. Application of the chapter to co-operative Banks- (1) The provisions of this chapter shall apply to a Co-operative Bank registered under this Act. In addition to the provisions contained in other parts of this Act, where any question of apparent or implied inconsistency arises, the provisions of this chapter shall prevail over the provisions of the other parts of this Act.
 - (2) For the purposes of this chapter Deposit Insurance Corporation means the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under the Deposit Insurance and credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961) and Reserve Bank means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)

38 B. Certain orders to be passed by the Registrar if so required by the Reserve Bank-

- (1) In the case of a co-operative bank which is an insured bank, the Registrar shall have power-
 - (i) if so required by the Reserve Bank, in the circumstances mentioned in section-13D of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, to make an order for winding up of a co-operative bank.
 - (ii) where an order of moratorium has been made by the Central Government under sub section (2) of section-45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10, 1949) to make an order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or amalgamation or reconstruction including division or reorganisation of the co-operative bank.
 - (iii) if so required by the Reserve Bank, in the public interest, or for preventing the affairs of the Co-operative bank being conducted in a manner detrimental to the interest of depositor or for securing the proper management of the bank an order for supersession and removal of the Committee of the Management or other Managing body, by whatever name called, of the Co-operative bank and the appointment of an Administrator thereof for such period or periods not exceeding five years in the aggregate as may form time to time be specified by the Reserve Bank and the Administrator so appointed, shall after the expiry of his term, continue in his office until the day proceeding the date of the first taking over by the new board of such bank. The Administrator will have all powers of the Managing Committee and will discharge its function under the general supervision and control of the Registrar.
- (2) In the case of co-operative bank which is an insured bank, the General Body of a co-operative bank shall not decide the sanctioning of a scheme of compromise or arrangement or amalgamation or reconstruction of such bank under section-11 of this Act, unless previous sanction in writing from the Reserve Bank is obtained.

- (3) The co-operative bank on its own motion shall not authorise its own dissolution under section-43 of this Act or the Co-operative Tribunal constituted under this Act shall not order for dissolution or liquidation and dissolution of any co-operative bank under section-44 of this Act, unless previous sanction in writing from the Reserve Bank is obtained.
- (4) No appeal, revision or review shall lie against an order made under sub-section (1) (2) and (3) on the requisition or previous sanction granted by the Reserve Bank and such order or sanction shall not be liable to be called in question in any manner.

38 C. Reimbursement to the Deposit Insurance Corporation by the Liquidators -

Where a Co-operative Bank being an insured bank is wound up or taken into liquidation and the Deposit Insurance Corporation has become liable to pay the depositors of the insured bank under sub-section (1) of section-16 of that Act, the Deposit Insurance Corporation shall be reimbursed by the Liquidator or such other person in the circumstances, to the extent and in the manner provided in section-21 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961."

By Order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 583-571+400-डी0टी0पी0।